FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. LSG | KOTA SOUTH | FLRE NOC | 2024-25 | 72374 Dated: 22 | 01 | 2025

Certified that the Nalanda Academy Sr.Sec.School at Annantpura, Kota South, Kota (Raj.) comprised of Nill basement(s) and G+3(upperfloors) owned occupted by

Nalanda Academy Sr.Sec.School have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of state/UT Fire service Rules and verified by the officer concerned of fire service on 16-01-2025 in the presence of Hema Vijay, 4-B-23 Talwandi, Kota (Secretary) and that the building premises is fit for occupancy upto classes XII with effect from 22-01-2025 a period of One year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended.

- 1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से 1 वर्ष की अवधि हेतू ही मान्य रहेगा। 1 वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त मान्य होगा।
- 2. भवन में समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम 1 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा एवं वर्ष में 3 बार स्वयः को स्तर पर मार्कडील आयोजित की जानी होगी।
- 3. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील अवस्था में रखने होगें।
- 4. भवन का मौका निरिक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारीयों के द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशो की पालना की जानी होगी।
- 5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते है तो आवेदन कर्ता. संचालक,व्यवस्थापक द्वारा मान्य होगें।
- भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरिक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाये जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिशंषा पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्वंतन्त्र रूप से होगा।
- 7. स्थापित किये गये फायर सिस्टम को कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतू 24 घन्टे प्रशिक्षित कर्मचारी/स्टाफ रखने होगें तथा ए.एम.सी. करवाई जा कर सिस्टम का रख रखाव व संवालन करना अनिवार्य होगा।
- 8. अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन तक पहुंच सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- 9. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जाये।
- 10.भवन में रोप लेडर व दो रस्से भवन की उचाई जितना हर समय भवन में सुरक्षित स्थान पर रखा जाना अनिवार्य है एवं भवन में आपातकालिन सीडियॉ।निकास द्वार अवरोध नहीं होनी चाहिए।
- 11. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से ही भवन के लिये मान्य है।
- 12. भूमि व भवन रहवासी सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वाद विवाद हेत् यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशय में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 13. उक्त अनापित्त प्रमाण पत्र भवन/परिसर में आवेदक द्वारा अग्निशमन से समस्त प्रावधान पूर्ण किये जाने के पश्चात रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट लंचालन हेतु मान्य
- 14. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुंचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादी लगवाये जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

Issued on 22-0	11-2025 at Nagar Nigam Kota South place by Strike out whichever is not applicable.
ignature with Seal	मुख्य अगिप्रमन् अधिकारी
Name	PAKETT VYDY SO
Designation	chief fine offices kate
Name & Address of I	Department office Mofers Migaur Kots
T	

Nalanda Academy Sr. Sec. School, Annantpura, Kota South, Kota (Raj.)

ENDORSEMENT The No Objection Certificate issued by Fire Service stand an annulled due to (reasons to be recorded) (Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi of English. If it is issued in vernacular language transalated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as single pdf.